

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक एफ वी.1(2)योजना/बजट घोषणा/2020-21/6734

दिनांक 17.12.2020

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
जयपुर।

विषय:- संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पशुचिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के संबंध में।

संदर्भ :- बजट घोषणा 2020-21 एवं शासकीय स्वीकृति क्रमांक एफ.वी. 1(2)(2)योजना/बजट घोषणा/2020-21/6448 दिनांक 16.10.2020

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-28 की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 200 नवीन पशुचिकित्सा उपकेन्द्र संस्थाविहीन ग्राम पंचायतों में खोले जाने है। इस संबंध में निम्न लिखित 41 नवीन पशुचिकित्सा उपकेन्द्रों को खोले जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम जहाँ नवीन पशुचिकित्सा उपकेन्द्र खोला जाना है
1.	झुन्झुनू	खेतडी	टीबा	टीबा
2.	बांसवाडा	सज्जनगढ	मस्काबडा	मस्काबडा
3.	बारां	अटरू	बम्बोरी	बम्बोरी
4.	बाडमेर	धोरीमना	दूदिया कलां	मिठीया तला
5.	बाडमेर	पायला कलां	कागों की ढाणी	निरीयानाडा
6.	करौली	हिन्डौन	कोटवास	कोटवास
7.	करौली	नादौती	पाल	पाल
8.	करौली	टोडाभीम	सिंघानिया	सिंघानिया
9.	कोटा	इटावा	बमूलिया कलां	बमूलिया कलां
10.	सिरोही	सिरोही	मनोरा	मनोरा
11.	सिरोही	सिरोही	उड	उड
12.	सिरोही	शिवगंज	आल्पा	आल्पा
13.	भीलवाडा	रायपुर	खेमाणा	खेमाणा
14.	भीलवाडा	शाहपुरा	अरणिया रासा	अरणिया रासा
15.	भीलवाडा	शाहपुरा	अरणिया घोडा	अरणिया घोडा
16.	भरतपुर	नगर	फतेहपुरकलां	सोमसी
17.	प्रतापगढ	छोटी सादडी	सेमरथली	सेमरथली
18.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	5 ई छोटी	5 ई छोटी
19.	राजसमन्द	देलवाडा	नेडच	नेडच
20.	राजसमन्द	देलवाडा	बिलोता	बिलोता
21.	राजसमन्द	देलवाडा	सेमल	सेमल
22.	सीकर	नीम का थाना	मण्डोली	मण्डोली
23.	सीकर	धोंद	जाना	जाना

24.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	जडावता	जडावता
25.	सवाई माधोपुर	खण्डार	अनियाला	अनियाला
26.	उदयपुर	भीण्डर	मोतिदा	मोतिदा
27.	दौसा	मण्डावर	बेजूपाडा	बालाहेडा
28.	दौसा	लालसोट	किशोरपुरा	किशोरपुरा
29.	चुरु	राजगढ	मुन्दीताल	मुन्दीताल
30.	जयपुर	फागी	लदाना	लदाना
31.	जोधपुर	देचू	रावत नगर	रामसागर
32.	जोधपुर	केरु	मणई	मणई
33.	जालौर	चितलवाना	सिवाडा	सिवाडा
34.	नागौर	परबतसर	गोरजी का बडा	गोरजी का बडा
35.	अजमेर	भिनाय	सोबडी	सोबडी
36.	अजमेर	सिलोरा	मालियों की बाडी	मालियों की बाडी
37.	अलवर	तिजारा	मायापुर	मायापुर
38.	अलवर	मुण्डावर	मानका	मानका
39.	अलवर	राजगढ	राजौरगढ	राजौरगढ
40.	अलवर	बानसूर	तुराणा	तुराणा
41.	अलवर	कोटकासिम	घीकाका	घीकाका

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 152000473 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की गई है।

उक्त सूची में जिन स्थानों पर पूर्व में एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र स्वीकृत है, उन्हें संबंधित जिला संयुक्त निदेशक, जे.के.ट्रस्ट के प्रतिनिधी से चर्चा कर अन्य संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में स्थानान्तरित कर निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त स्थानों पर नवसृजित उपकेन्द्रों के उपयोग हेतु राजकीय भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन की निःशुल्क सुविधा स्थानीय निकाय/संस्थाओं/जनप्रतिनिधियों/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

श/ (अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव

क्रमांक एफ वी.1(2)योजना/बजट घोषणा/2020-21/6795-6742 दिनांक 17.12.20

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, जयपुर।
8. रक्षित पंजिका।

17/12/2020
श/शासन उप सचिव